प्रेस नोट दिनांक 27—07—2019

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी की घटना को कारित करने वाले एक अभियुक्त को चोरी का मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी का) व एक नाजायज चाकू सहित किया गिरफ्तारः—

अवगत कराना है कि दिनांक 25—07—2019 को श्री मोनिस पुत्र अब्दुल बासित निवासी ग्राम औरंगजेबपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर, जो रात्रि में घर पर अपना मोबाइल फोन (सैमसंग ग्लेक्सी ए—6) को चार्जिंग पर लगाकर सो रहा था, कि उसके पड़ोस में रहने वाला बोना नाम के व्यक्ति द्वारा उसके फोन को चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 275/19 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना चिलकाना पुलिस को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 27—07—2019 को अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुर्गी फार्म हाउस के पास से उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त सैय्यद उर्फ बोना पुत्र खुशनूद निवासी ग्राम औरंगजेबपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर को उक्त घटना में चोरी किया गया मोबाइल फोन (सैमसंग ग्लेक्सी ए—6) व एक नाजायज चाकू सहित समय 04.00 बजे प्रातः गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 277/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः—

1—सैय्यद उर्फ बोना पुत्र खुशनूद निवासी ग्राम औरंगजेबपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः—

1— चोरी का एक मोबाइल फोन (सैमसंग ग्लेक्सी ए—6)।

2— एक नाजायज चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः—

1—उ0नि0 श्री रोहताश सिंह थाना चिलकाना, सहारनपुर।

2—का0 1774 दीपक कुमार थाना चिलकाना, सहारनपुर।

3—का0 989 रजनीश कुमार थाना चिलकाना, सहारनपुर।